न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक–राज0

(लोकेश कुमार गौतम,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 5/2009
प्रविष्टि दिनांकः– 07.08.2009

उनवान

कालूराम पुत्र भोलू कोम गूर्जर निवासी ढीबरू तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0
..... अपीलाण्ट

बनाम

रंगलाल पुत्र सुजान कोम गूर्जर निवासी ढीबरू (कांटोली) तह0 मालपुरा जिला टोंक राज0
..... रेस्पोडेण्ट

अपील/रिवीजन विरूद्व आदेश प्रशासन एवं वित्त स्थाई समिति पंचायत समिति मालपुरा दिनांक 11.12.2004 निर्णय संख्या 1(2)

उपस्थितः (1) श्री जितेन्द्र कुमार जैन, अभिभाषक–अपीलाण्ट
(2) श्री पवन कुमार , अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय

दिनांक 27.07.2017

1– संक्षेप में अपील/रिवीजन के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट को ग्राम पंचायत कांटोली पंचायत समिति मालपुरा द्वारा एक भूखण्ड दिनांक 15.04.1998 को आवंटित किया गया था और जिसका पटटा ग्राम पंचायत कांटोली द्वारा विलेख किया जाकर अपीलाण्ट के नाम पटटा जारी किया गया था और मिन अपीलाण्ट को पटटे के जरिये इस भूखण्ड पर स्वामित्व अधिकार दे दिये गये थे, इस पटटे के विरूद्व रेस्पोडेण्ट ने पंचायत समिति मालपुरा में अपील करने पर पंचायत समिति मालपुरा की प्रशासन एवं वित्त स्थाई समिति ने दिनांक 11–12–2004 को प्रस्ताव सं0 1(2) के द्वारा निरस्त करने का आदेश पारित किया है वह निर्णय विधि विधान के विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2– निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन रेस्पोडेण्ट्स की तलबी की गई एवं रिकार्ड हेतु पंचायत समिति एवं पंचायत कांटोली को लिखा गया परन्तु पंचायत द्वारा पंचायत में इस संबंध में कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं होना पत्र द्वारा अवगत कराया गया। पंचायत समिति का रिकार्ड मंगवाया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3– विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि पंचायत समिति मालपुरा का आदेश गैर कानूनी गलत है एवं स्पीकिंग आदेश नहीं है और न ही फैसले में लिखा गया है कि पटटा किस कारण से निरस्त किया गया, पंचायत समिति द्वारा अपीलाण्ट को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई न ही कोई पुछताछ की गई और पंचायत समिति द्वारा मन माने तरीके से अपीलाण्ट को जारी किया गया पटटा निरस्त कर दिया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

Scanned by CamScanner

विवादग्रस्त पटटे के संबंध में मिन अपीलाण्ट ने रेस्पोडेण्ट पर न्यायालय एम जे एम मालपुरा में स्थाई निषेधाज्ञा का मुकदमा कर रखा है जो जेरकार है जिसमें स्टेटस को जारी है। लिहाजा अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जाकर प्रशासन एवं वित्त स्थाई समिति पंचायत समिति मालपुरा 11.12.2004 निर्णय संख्या 1(2) को निरस्त किया जावे एवं अपीलाण्ट को जारी किया पटटा बहाल रखा जावे।

4— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में निवेदन किया है कि अपीलाण्ट को जारी किया गया पटटा विधिक प्रावधानो के विपरीत होने से ही पंचायत समिति मालपुरा द्वारा पटटा खारिज किये जाने का आदेश पारित किया गया है जो सही है। पंचायत द्वारा जारी किये गये पटटे से संबंधित कोई पत्रावली अथवा दस्तावेज पंचायत में उपलब्ध नहीं है, जिससे भी पटटा निरस्त किये जाने योग्य है। अपील म्याद बाहर है, म्याद बाहर होने का कोई संतोषजनक कारण नहीं बताया गया है, दिनांक 11.02.2004 के आदेश के तीन साल बाद अपील पेश की गई है, पंचायत समिति द्वारा बाद जांच निर्णय दिया है, पटटा निरस्त किये जाने का आदेश/प्रस्ताव नहीं है। ग्राम पंचायत अथवा पंचायत समिति को पक्षकार नहीं बनाया गया है, अपीलाण्ट द्वारा अपने कब्जे होने का कोई सबूत भी पेश नहीं किया है। मौके पर कोई बाडा नहीं है। उपरोक्त तथ्यो से निगरानी प्रार्थना पत्र निगरानी कर्ता चलने योग्य नहीं है, खारिज फरमाई जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस को सुना उस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व उस पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावीली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेण्ट ने उक्त भूखण्ड पर अपने कब्जे के बारे में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है, अपील भी म्याद बाहर की गई है जिसका प्रा0 पत्र दफा 5 लिमिटेशन एक्ट में अंकित कारण संतोषप्रद नहीं माना जा सकता, अपीलाण्ट ने रिवीजन नहीं पेश कर अपील प्रस्तुत की है, पंचायत समिति मालपुरा की प्रशासन एवं वित्त स्थायी समिति की बैठक द्वारा विवादित स्थल का मौका निरीक्षण रिपोर्ट पेश होने के उपरान्त ही रेस्पो0 का पटटा निरस्त किया गया है, प्रकरण में एक तथ्य और भी सामने आया कि प्रकरणान्तर्गत वित्त एवं प्रशासन समिति मालपुरा को जिसने पंचायत पटटा निरस्त किया है को भी पक्षकार नहीं बनाया गया है। रिविजन कर्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र की पुष्टि में कोई ऐसे तथ्य प्रस्तुत नहीं किये है जिससे उनका कथन सिद्व हो। उपरोक्त तथ्यों से अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील समर्थन योग्य प्रतीत नहीं होती है।

आदेश

6— फलतः उपरोक्त विवेचनो के आधार पर अपील अपीलाण्ट पर्याप्त सबूत, साक्ष्य के अभाव में निरस्त की जाती है।

(लोकेश कुमार गौतम)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक (राज0)

Scanned by CamScanner